15

उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय

आपने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के बारे में अध्ययन किया। सर्वोच्च न्यायालय से नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय सबसे बड़ी इकाई होते हैं। ये उच्च न्यायालय भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक अंग होते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं। किसी राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय होने के कारण ये उच्च न्यायालय अन्य अधीनस्थ न्यायालयों को दिशा-निर्देश देते हैं। उच्च न्यायालय मुख्यत: अपील करने के लिए होते हैं। जिला स्तर के न्यायालयों के फैसले के खिलाफ अपील ये उच्च न्यायालय सुनते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता तथा कार्य प्रणाली, आदि इन उच्च न्यायालयों के दिशा-निर्देशों पर ही होता है। इस अध्याय में आप उच्च न्यायालयों के बारे में पढ़ेंगे। आप इनके अधीनस्थ न्यायालयों तथा जिला-स्तर और सेशन कोर्ट के बारे में भी पढ़ेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- उच्च न्यायालयों के संगठन के बारे में जान सकेंगे;
- उच्च न्यायालय की शक्तियों और न्याय प्रणाली के बारे में जान सकेंगे;
- मूल अधिकारों की रक्षा में उच्च न्यायालय की भूमिका के बारे में जान सकेंगे;
- अधीनस्थ या निम्न-स्तरीय न्यायालयों की कार्य-प्रणाली के बारे में जान सकेंगे।

15.1 राज्य उच्च न्यायालय

वर्तमान में 28 राज्यों तथा 7 केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 21 उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय राज्य-स्तर पर सबसे बड़े होते हैं, परन्तु भारतीय न्यायिक प्रणाली का एक अंग होने के कारण ये सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का पालन करते हैं।

टिप्पणी

15.1.1 संगठन

प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त उच्च न्यायालय भी हो सकता है। उदाहरणार्थ, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के केन्द्र शासित प्रदेश के लिए केवल एक उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ में है। इसी प्रकार गुवाहाटी में स्थित उच्च न्यायालय सात उत्तर-पूर्वी राज्यों–असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के लिए है। यद्यपि दिल्ली एक राज्य नहीं है परन्तु इसका एक अलग उच्च न्यायालय है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या अलग-अलग राज्य में भिन्न-भिन्न हो सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं तथा न्यायाधीशों की संख्या भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं।

किसी राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल की सलाह से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेता है। न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरण में भी राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी होती है। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति ही ये नियुक्तियां करता है। परन्तु 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार वास्तविक चयन तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। इसकी सिफारिशों को राष्ट्रपति नकार नहीं सकता।

15.1.2 योग्यता, कार्यकाल तथा न्यायाधीशों को पद से हटाना

उच्च न्यायालय में किसी व्यक्ति को न्यायाधीश होने के लिए उसमें निम्न योग्यताएं होनी चाहिए:

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) जिला या उससे निम्न स्तर के न्यायालय में कम से कम दस वर्षों तक वह न्यायाधीश के पद पर रहा हो।

या

किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों या उच्चतम न्यायालय में उसने लगातार दस वर्षों तक वकालत की हो।

एक बार उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद वे 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें या तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है या वे उच्चतम न्यायालय या किसी ऐसे उच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं जिसमें वे न्यायाधीश न रह चुके हों।

किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 62 वर्ष की आयु से पहले भी हटाया जा सकता है यदि वह असक्षम है अथवा उसका दुर्व्यवहार सिद्ध हो जाये। यदि संसद के दोनों सदन अलग-अलग एक ही सत्र में कुल सदस्य संख्या के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें तो न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति को पेश किया जाता है और फिर राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को हटा देता है। यह प्रक्रिया ठीक वैसी ही जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है।

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 15.1

रिक्त स्थान भरिए:

(क) वर्तमान में भारत में कुल .... उच्च न्यायालय हैं। (18, 20, 21)

(ख) केन्द्रीय शासित प्रदेश .... का अपना अलग उच्च न्यायालय है। (चंडीगढ़, दमन और द्वीप, दिल्ली)

(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति.................................... करता है। (राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री)

(घ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु....................................वर्ष है। (60, 62, 65)

15.2 उच्च न्यायालय की शक्तियां और न्याय-क्षेत्र

उच्च न्यायालय के पास कुछ मामलों में सीधी सुनवाई और फैसले का अधिकार है। इसे प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। जब किसी निम्न न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है तो इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। उच्च न्यायालय अपील करने का न्यायालय है। निचले स्तर के न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध सिविल और फौजदारी मामले उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं।

15.2.1 प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार काफी सीमित है। मूल अधिकारों के हनन संबंधी मामले उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में प्रारम्भ किये जा सकते हैं। उच्च न्यायालय इन अधिकारों को पुन: लागू करने का आदेश दे सकता है। आपको याद होगा कि इन्हें **आदेश** कहते हैं।

जनहित याचिका दायर करने का अधिकार: आपने मूल अधिकारों से संबंधित अध्याय में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत पढ़ा होगा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इस तरह के आदेश दे सकते हैं। ऐसा उस परिस्थिति में हो सकता है जब राज्य या किसी अन्य द्वारा मूल अधिकारों की उपेक्षा की जा रही हो। संविधान ने उच्च न्यायालयों को ये आदेश देने का अधिकार दिया है। ये न्यायालय ऐसे आदेश दे सकते हैं जो उस राज्य सरकार के किसी व्यक्ति या पदाधिकारी के लिए दिशा-निर्देश की तरह होते हैं। इन आदेशों का उल्लेख अध्याय 6 में है जिनके द्वारा लोगों के मूल अधिकारों को लागू किया जाता है। यह शक्ति उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है जो किसी भी तरह सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी ही शक्ति के विरुद्ध नहीं है।

उच्च न्यायालय अपने प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी सांसद या विधायक के चुनाव के विरुद्ध की गई याचिका पर सुनवाई कर सकता है। उच्च न्यायालय यदि पाता है कि उस सांसद या विधायक ने भ्रष्ट प्रकार से चुनाव जीता है तो वह उस चुनाव को रद्द कर सकता है। राज्य के सभी निम्न-स्तरीय न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के निर्देशों पर कार्य करते हैं।

निम्न स्तरीय न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई उच्च न्यायालय करता है। सिविल मामलों में जिनकी अनुमानित राशि 5 लाख से ऊपर हो उनकी सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है।

कोई भी पार्टी जो जिला-स्तर न्यायालय के फैसले से असहमत हो, वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। पेटैन्ट और डिजाईन, उत्तराधिकार, भूमि-अधिग्रहण तथा अभिभावक बनने संबंधी मामले की अपील भी उच्च न्यायालय में सुनी जाती हैं।

उच्च न्यायालय सेशन कोर्ट के आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। यदि सेशन कोर्ट में कोई व्यक्ति अपराधी साबित होता है तो वह इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। कभी-कभी राज्य भी सजा बढ़ाने के लिए सेशन कोर्ट से अपील कर सकता है। उच्च न्यायालय सेशन कोर्ट के फैसले स्वीकार भी कर सकता है या सजा के प्रकार को बदल सकता है या दोषी को मुक्त भी कर सकता है। परन्तु यदि सेशन कोर्ट किसी दोषी को सजा-ए-मौत देता है तो अभियुक्त को फांसी देने से पहले उच्च न्यायालय से पुष्टि करायी जाती है। दोषी द्वारा अपील न किये जाने के बाद भी राज्य उस मामले को उच्च न्यायालय में पुष्टि के लिए भेज देता है।

15.2.2 उच्च न्यायालय में मामलों का स्थानांतरण

यदि उच्च न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाये कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुकदमे में संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है तो ऐसे मामलों को उच्च न्यायालय स्वयं ही उस अधीनस्थ न्यायालय से अपने हाथ में ले लेता है। मामले की जांच के बाद या तो उच्च न्यायालय उसका निपटारा स्वयं करता है या निर्देशों के साथ उसी अधीनस्थ न्यायालय को उस मामले को सौंप देता है।

15.2.3 अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण

न्यायिक अथवा प्रशासनिक सभी मामलों में उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ सभी न्यायालयों पर निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार रखता है। अपनी इन शक्तियों के अन्तर्गत यह अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय से कुछ भी जानकारी मांग सकता है; अधीनस्थ न्यायालय की कार्य-प्रणाली के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। यह सब उच्च न्यायालय समय-समय पर कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो यह अधीनस्थ न्यायालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदावनति, पदोन्नति एवं अवकाश से संबंधित नियम कानून बनाता है।

15.2.4 अभिलेख न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय की तरह उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। उच्च न्यायालय के फैसलों को निचले स्तर के न्यायालय मानने के लिए बाध्य हैं। अपनी उपेक्षा और अवमानना के लिए उच्च न्यायालय दंड देने की भी शक्ति रखता है।

पाठगत प्रश्न 15.2

रिक्त स्थान भरिए:

(क) यद्यपि _______________ एक राज्य नहीं हैं, परन्तु इसका एक उच्च न्यायालय है।

(ख) उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना किस सजा को अधीनस्थ न्यायालय लागू नहीं कर सकता?

....

15.3 जिला स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय

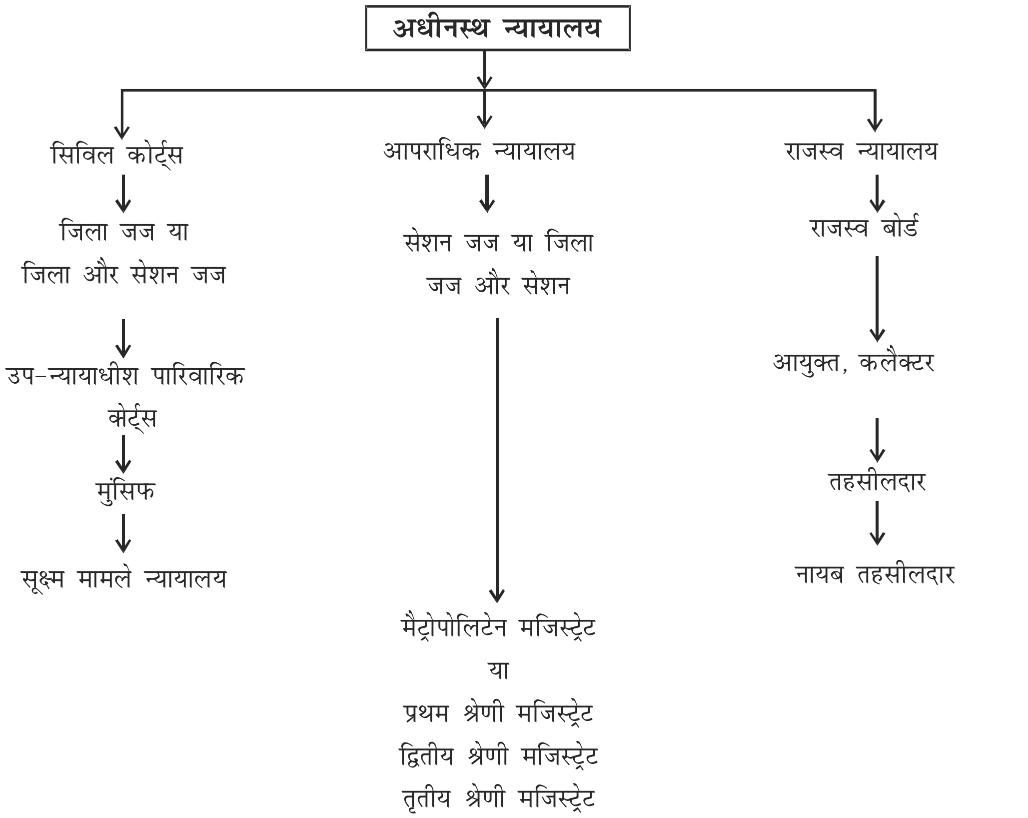

भारत के प्रत्येक जिले में विभिन्न प्रकार के अधीनस्थ या निम्न-स्तरीय न्यायालय हैं। ये सिविल कोर्ट, फौजदारी कोर्ट्स तथा राजस्व कोर्ट्स हैं। इनमें क्रमश: सिविल, आपराधिक तथा राजस्व संबंधित मामलों की सुनवाई होती है।

सिविल मामले वे मामले हैं जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों में जायदाद को लेकर झगड़ा है। किसी समझौते का उल्लंघन, तलाक या मकान मालिक-किरायेदार के झगड़ों का भी सिविल कोर्ट में निपटारा किया जाता है। इनमें किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाती क्योंकि कानून का कोई उल्लंघन इन मामलों में नहीं किया जाता।

आपराधिक मामले कानून के उल्लंघन से संबंधित होते हैं। इनमें चोरी, डकैती, बलात्कार, जेबकतरी, शारीरिक आघात तथा हत्या, आदि आते हैं। ये मामले राज्य की तरफ से पुलिस द्वारा अभियुक्त के खिलाफ निचली अदालतों में दायर किये जाते हैं। इस प्रकार के मामलों में यदि अभियुक्त को दोषी पाया जाता है तो उसे दंड के रूप में हर्जाना, जेल या मौत की सजा भी हो सकती है।

राजस्व मामले जिले में कृषि भूमि पर राजस्व से संबंधित मामले हैं।

15.3.1 न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यता

अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य का राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के

टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। आजकल, अधिकांश राज्यों में न्यायिक अधिकारियों का चयन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से होता है। उन्हें राज्यपाल द्वारा अंतिम रूप से नियुक्त किया जाता है।

कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 7 वर्षों से वकालत कर रहा हो या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार में कार्यरत हो, वह जिला न्यायालय का न्यायाधीश बनने का पात्र है बशर्ते कि वह वांछनीय न्यायिक योग्यता रखता हो।

15.3.2 सिविल कोर्ट्स

दीवानी मामलों की सुनवाई के लिए जिला जज न्यायालय किसी जिले का सर्वोच्च सिविल न्यायालय होता है। इसे हम बहुधा सेशन जज या जिला न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, जब यह जिला स्तर पर दिवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। इस न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

जिला जज न्यायालय के नीचे अन्य उप–न्यायाधीश के एक या अधिक न्यायालय भी हो सकते हैं। पारिवारिक न्यायालय भी स्थापित किए गए हैं जो पारिवारिक मामलों जैसे–तलाक, बच्चों की अभिभावकता, आदि मामलों की सुनवाई करते हैं। उनके नीचे मुंसिफ न्यायालय तथा सूक्ष्म मामले के कोर्ट स्थापित होते हैं जिनमें कम राशि से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। सूक्ष्म मामले न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध और कहीं अपील नहीं की जा सकती। ये सभी न्यायालय दिवानी झगड़ों की सुनवाई करके फैसला सुनाते हैं।

जिला न्यायालय केवल उप–न्यायाधीश के फैसलों के विरुद्ध की गई अपीलें ही नहीं सुनता बल्कि बिल्कुल नये मामले भी सीधे यहाँ प्रारम्भ होते हैं। इस न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध राज्य के उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

15.3.3 फौजदारी न्यायालय

सेशन जज का न्यायालय (जिसे सेशन कोर्ट भी कहते हैं) जिले में फौजदारी मामलों की सुनवाई का सबसे बड़ा न्यायालय है। इस न्यायालय के नीचे प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेटों की अदालतें होती हैं। महानगरीय शहरों जैसे–दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चैन्नई, आदि में इन्हें मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं। इन सभी फौजदारी न्यायालयों में अभियुक्त पर मुकदमा चलाया जा सकता है और दोषी पाये जाने पर कानून के तहत सजा भी दी जा सकती है।

आपराधिक न्यायालयों में कानून के उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। इनमें चोरी, डकैती, बलात्कार, जेबकतरी, शारीरिक आघात और हत्या, आदि शामिल हैं। इन मामलों में दोषी को सज़ा दी जाती है जो कि जुर्माना, जेल या मृत्युदंड हो सकती है।

सामान्यत: प्रत्येक अभियुक्त को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट छोटे–मोटे मामलों का तुरंत निपटारा कर सकता है। परन्तु यदि मजिस्ट्रेट मामले को गंभीर समझता है तो वह अभियुक्त पर सेशन कोर्ट में मुकदमा चलाता है।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि यदि किसी अपराधी को सेशन कोर्ट द्वारा मृत्युदंड दिया गया है तो केवल उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि के बाद ही उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है।

15.3.4 राजस्व न्यायालय

राजस्व न्यायालय राज्य में भूमि राजस्व से संबंधित मामलों को देखते हैं। राज्य में सबसे ऊँचा राजस्व

टिप्पणी

न्यायालय राजस्व बोर्ड होता है। इसके अन्तर्गत आयुक्त न्यायालय, कलैक्टर्स, तहसीलदार और सहायक तहसीदलदार होते हैं। राजस्व बोर्ड उन सभी मामलों की सुनवाई करता है जिनमें निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध अपील की जाती है।

भूमि राजस्व: यह एक प्रकार का कर है जो सरकार किसानों से कृषि योग्य भूमि पर लगाती है।

पाठगत प्रश्न 15.3

(क) जिले के सर्वोच्च सिविल न्यायालय का नाम बताईये।

....

(ख) जिले में सबसे बड़ा फौजदारी न्यायालय कौन-सा होता है?

....

(ग) रिक्त स्थान भरिए

(i) ____________ न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती।

(ii) राज्य में राजस्व-संबंधी सबसे बड़ा न्यायालय_______________ है।

आपने क्या सीखा

हमारी न्यायपालिका का विशिष्ट गुण यह है कि यह एकल संगठित न्याय व्यवस्था है।

उच्च न्यायालय राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग-अलग राज्यों में बदलती है। उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा पर राष्ट्पति द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है, अन्यथा वे 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं।

उच्च न्यायालय के पास प्रारम्भिक एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यह एक अभिलेख न्यायालय भी है तथा इसकी अवमानना करने पर सज़ा भी दे सकता है।

28 राज्यों तथा 7 संघीय क्षेत्रों के लिए कुल 21 उच्च न्यायालय हैं।

प्रत्येक जिले में अधीनस्थ दीवानी, पारिवारिक, फौजदारी और राजस्व न्यायालय होते हैं। निचली अदालतों के फैसलों के विरुद्ध की गई याचिकाएं राज्य के उच्च न्यायालय में सुनी जाती हैं।

पाठांत प्रश्न

1. उच्च न्यायालय की संरचना का उल्लेख कीजिए।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है?
3. उच्च न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए।
4. उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख कीजिए।

5. किसी जिले में निचली अदालतों का गठन किस प्रकार होता है।

6. किसी जिले में दीवानी न्यायालय किस प्रकार फौजदारी न्यायालयों से शक्तियों और कार्य प्रणाली में भिन्न हैं?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

15.1

(क) 21

(ख) दिल्ली

(ग) राष्ट्रपति

(घ) 62

15.2

(क) दिल्ली

(ख) मृत्युदंड

15.3

(क) जिला न्यायाधीश का न्यायालय (जिला न्यायालय)

(ख) राज्यीय न्यायाधीश का न्यायालय (सेशन कोर्ट)

(ग) (i) सूक्ष्म मामले संबंधित न्यायालय

(ii) राजस्व बोर्ड

पाठांत प्रश्नों के लिए संकेत

(1) खण्ड 15.1.1 देखें

(2) खण्ड 15.1.2 देखें

(3) खण्ड 15.2.1 देखें

(4) खण्ड 15.2.2 देखें

(5) खण्ड 15.3.1 देखें

(6) खण्ड 15.3.2 व 15.3.3 देखें